

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरबा वनमण्डल कोरबा (छ.ग.)

फ़ा. का. : 07759-221273, फ़ि. 07759-222504, फैक्स 07759-223531, Email : dfo_korba@yahoo.co.in

क्रमांक/तक.अ/ 1887
प्रति,

कोरबा, दिनांक 28/02/2017

नोडल अधिकारी/ वनमण्डलाधिकारी
रायगढ़ वनमण्डल रायगढ़

विषय :- Diversion of 153.448 ha. forest land in favour of Power Grid Corporation of India Ltd. Raigarh for construction of 765 KV D/C (Hexa) Jharsuguda-Dharamjaygarh Transmission line in the District of Raigarh, Korba in the State of Chhattisgarh।
पंजीयन क्रमांक – FP/CG/Trans/8080/2014

- संदर्भ :-**
- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) छ.ग. रायपुर का पत्र क. /भू-प्रबंध/विद्युत/497-135/ 163 दिनांक 17.1.2017
 - वनमण्डलाधिकारी, जाजगीर चांपा वनमण्डल का पत्र क. /870 दिनांक 23.2.2017
 - सहा महाप्रबंधक, पावर ग्रिड कारपोरेशन लिमि. भैसमा कोरबा का पत्र क. 5598 दिनांक 27.02.2017

—00—

उपरोक्त विषयात्तर्गत लेख है रांदर्भित पत्र क. 1 के द्वारा कोरबा वनमण्डल में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल ओ.ए. 1443, ओ.ए. 1465, पी 1140 में घनत्व अधिक होने के आपत्ति उठाई गई थी।

संदर्भित पत्र क. 2 एवं 3 के द्वारा जाजगीर चांपा वनमण्डल में कक्ष क. आर.एफ. 62 के 40.409 हे. क्षेत्र का 10 वर्षीय सिचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण परियोजना डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट, केएमएल फाईल एवं सेप फाईल की सी.डी. तैयार कर इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतः वर्तमान स्थिति में क्षेत्र का 10 वर्षीय परियोजना निम्नानुसार है:-

क्र	वनमण्डल का नाम	परिधित का नाम	कक्ष क.	परियोजना का रकबा हे. में	स्थार्क
1	कोरबा	करतला	ओ.ए. 1467	12.749	परियोजना तैयार कर पूर्व में प्रेषित की गई है।
2	जाजगीर चांपा	बलौदा	आर.एफ. 62	40.409	नवीन चयनित क्षेत्र
			योग	53.158	

इस प्रकार कोरबा वनमण्डल में प्रभावित 26.5789 हे. क्षेत्र के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु ~~रकबा~~ 53.158 हे. की परियोजना तैयार कर आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न संप्रेषित है।

वनमण्डलाधिकारी

कोरबा वनमण्डल कोरबा

कोरबा, दिनांक 28/02/17

क्रमांक/तक.अ/ 1888

प्रतिलिपि – 1. मुख्य वन संरक्षक, विलासपुर वृत्त विलासपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

- वनमण्डलाधिकारी, धरमजयगढ़ वनमण्डल धरमजयगढ़ की ओर कर लेख है कि पूर्व चयनित क्षेत्र कक्ष क. पी 1140, ओ.ए. 1449 का घनत्व अधिक होने के कारण निरस्त किया गया है।
- वनमण्डलाधिकारी, जाजगीर-चांपा वनमण्डल की ओर उनके पत्र क. 870 दिनांक 23.2.2017 के तारतम्य में सूचनार्थ प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी

कोरबा वनमण्डल कोरबा

+